FORM-I

(for linear projects other than Plantations)

[Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bhilwara

***

No- F 39-7(1)( )RA/2025/ 5682 Dated- 07/05/2025

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **0.8491 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Nagar Palika for Road (purpose for diversion of forest land) in district bhilwara falls within jurisdiction of GOTH (peripheral of Municipality, Mandalgarh) village(s) in Mandalgarh tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for the entire **0.8491 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Ward Sabha (s), Sub-Division Level Committee(s) (Urban Area) and the District Level Committee are enclosed as attachment.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 have been completed and the Ward Sabhas have given their consent to it;

(c) The proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: AS above

(JASMEET SINGH SANDHU)

District Collector, Bhilwara

जिला परिषद् (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), भीलवाड़ा

क्रमांक :– माडा / वनाधिकार / 2025–26 /51 दिनांक :– 05.05.2025

बैठक कार्यवाही विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी, (वन अधिकारों की मान्यता) वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के तहत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2025 को सायं 05:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार सदस्यों ने भाग लिया ।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् भीलवाड़ा
2. श्रीमति मीरा भील नि0 उमा का खेड़ा , धनोप तह0 फूलियाकलां
3. श्रीमति शंकरी भील नि0 मु.पो. संग्रामपुरा पो. कुवार पं. कंकोलिया तह0 बनेड़ा
4. श्री हरिलाल जाट, नि0 मु. राणीखेड़ा पो. खटवाड़ा तह0 माण्डलगढ
5. उपवन संरक्षक भीलवाड़ा

बैठक में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका माण्डलगढ के पत्रांक 24 दिनांक 07/04/2025 से उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ को माण्डलगढ–गोठ लिंक रोड बनाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निवेदन किया गया। इस समबन्ध में उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ से कार्यालय नगरपालिका माण्डलगढ द्वारा उनके पत्रांक नपामा/संस्था/2025-26/194 दिनांक 02.05.25 से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति अंतर्गत गठित वार्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की दिनांक 02.05.2025 को आयोजित बैठक हुए निर्णय के क्रम में उपखण्ड समिति नगरीय(न.पा. माण्डलगढ) माण्डलगढ की बैठक कार्यवाही विवरण अनुसार जारी पत्रांक राजस्व / 2025 / 832 / दिनांक 05.05.2025 के क्रम में माण्डलगढ–गोठ लिंक रोड़ 2550 मीटर लम्बाई एवं 3.33 मीटर चौड़ाई में वन भूमि में बनाये जाने हेतु वनभूमि खसरा संख्या 145, 148, 172, 149, 01, 151, 150, 1420 / 148, 1416 / 172, 2 एवं 129 मे से रकबा 0.8491 है0 भूमि वन विभाग से नगर पालिका माण्डलगढ को सडक निर्माण के लिए दिए जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रत्यावर्तन किए जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई हैं । प्रत्यावर्तन के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत कोई दावा उपखण्ड स्तरीय समिति नगरीय(न.पा. माण्डलगढ) नगरीय(न.पा. माण्डलगढ) माण्डलगढ एवं जिला स्तरीय वनाधिकार समिति भीलवाड़ा के समक्ष दर्ज एवं विचाराधीन नहीं होने से जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक में उक्त वन भूमि में से डामर/सीसी सड़क बिछाने के कार्य हेतु नगरपालिका माण्डलगढ को उक्त वर्णित रकबा 0.8491 है0 वन भूमि में डामर सडक बिछाने के कार्य हेतु भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बंध में वन(संरक्षण) नियम 2003 के नियम 6(3)(ई) के तहत निर्धारित प्रारूप-1 में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सर्वसम्मति से अनुशंषा प्रदान की गई ।

(सदस्य सचिव)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, भीलवाड़ा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ –

1. आयुक्त महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
2. निजी सहायक श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा
3. प्रभारी अधिकारी (राजस्व) जिला कलक्टर कार्यालय , भीलवाड़ा
4. उपवन संरक्षक भीलवाड़ा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, भीलवाड़ा

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 834 दिनांक 05/5/25

—:: उपखण्ड स्तरीय बैठक::—

आज दिनांक 05.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की कियान्विती के अन्तर्गत बैठक आयोजित की गई। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, माण्डलगढ़ के पत्रांक 2025–26 / 24 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार माण्डलगढ़–गोठ लिंक रोड़ बनाया जाना प्रस्तावित है। नगरपालिका माण्डलगढ़ के पत्रांक 2025–26 / 24 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार आयोजित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 05.05.2025 के अनुसार उक्त सड़क 2550 मीटर लम्बाई एवं 3.33 मीटर चौड़ाई में वन भूमि में बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि खसरा संख्या 145, 148, 172, 149, 01, 151, 150, 1420 / 148, 1416 / 172, 2 एवं 129 में से रकबा 0.8491 हैक्टेयर भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस उपखण्ड स्तरीय समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष दर्ज एवं विचाराधीन नहीं है।

अतः उपखण्ड स्तरीय समिति उक्त वन भूमि में से डामर सड़क बिछाने के कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

क्षेत्रिय वन अधिकारी सदस्य सचिव	विकास अधिकारी पंचायत समिति, माण्डलगढ़ सदस्य सचिव	उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ अध्यक्ष
लादू लाल खटीक मनोनित सदस्य	कान्ता कान्ता देवी रेगर मनोनित सदस्य	रामेश्वर लाल मीणा मनोनित सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

बैठक दिनांक 02.05.2025

	उपस्थित सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
	संजय कुमार जी	संजय कुमार जी
(1)	बन्टी / लादु जी	बन्टी
(2)	किरण / बन्टी	किरण
(3)	कुसुम / मुकेश जी	कुसुम
(4)	चिंकी / रामचन्द्र जी	चिंकी
(5)	विष्णु / रामचन्द्र जी	विष्णु
(6)	सपना / राकेश जी	सपना
(7)	राकेश / लादु जी	राकेश
(8)	मुकेश / लादु जी	मुकेश
(9)	रुकमा / रामचन्द्र जी	रुकमा
(10)	रचना / लादुलाल जी	रचना
(11)	लादुलाल / मीठुलाल जी	लादु
(12)	दीपक कुमार / रामचन्द्र जी	दीपक
(13)	कोमल देवी / दीपक कुमार	कोमल
(14)	संजय परवा / प्यारजी परवा	संजय परवा
15	पुष्कला w/o संजय परवा	[illegible]
16	कान्ता देवी / भंवरलाल रेगर (आमंत्रित)	कान्ता
(17)	रामेश्वर लाल / प्रताप मीणा (आमंत्रित)	रामेश्वर लाल मीणा
(18)	लादु लाल खटीक / (आमंत्रित)	लादु लाल खटीक
(19)	नीलकमल परवा / कैलाश (आमंत्रित)	नीलकमल परवा
(20)		

Scanned with OKEN Scanner

वार्ड सभा - वार्ड सं० 11

दिनांक - 02.05.2025
स्थान - गणेश चौक, वार्ड नं० 11

विषय :- वनाधिकार समिति के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु

आज दिनांक 02.05.2025 को प्रातः 9:30 बजे वार्ड स्तरीय वार्ड सभा के अन्तर्गत वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित कोरम पूर्ण होने से प्रारंभ की गयी बाद गणपूर्ति प्रस्ताव रखा गया :-

प्रस्ताव संख्या -01 - मा०डबागढ -गौढ लिंक रोड वाया मुक्तेश्वर महादेव के निर्माण करवाये जाने हेतु वनाधिकार प्रमाण-पत्र जारी करवाये संबंधी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन।

उपरोक्त प्रस्ताव संबंधी समस्त दस्तावेजो को सभी उपस्थित सदस्यों को पढकर सुनाया गया जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 (जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 05.03.2015) के अन्तर्गत मद्देनजर रखते हुये मा०डबागढ-गौढ लिंक रोड बनाया जाना प्रस्तावित है उक्त सड़क 2550 मीटर लम्बाई एवं 3.33 मीटर चौड़ाई में वन भूमि मे बनाया जाना प्रस्तावित है। उक्त भूमि खसरा संख्या 145, 148, 172, 149, 01, 151, 150, 1420/148, 1416/172, 2 एवं 129 मे से रकबा 0.8491 हैक्टेयर भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध मे दावे मांगे गये। बाद इन्तजार कोई दावा प्राप्त नही होने से सर्वसम्मति से रोड निर्माण किये जाने प्रस्ताव को उपखण्ड स्तरीय समिति को वास्ते अनुमोदनार्थ भिजवाने हेतु निर्णय लिया गया।

Sign.

Scanned with OKEN Scanner

बाद धन्यवाद बैठक समाप्त की जाकर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर दर्ज किये गये।

Upkhan. — [illegible]

[illegible] कान्ता रमेश [illegible]

बन्टी/लादुलाल किरण/बन्टी कुसुम/मुकेश जी

चिंकी/रामचन्द्र जी विष्णु/रामचन्द्र जी स्वपन/राकेश

राकेश/लादुलाल प्रकाश/लादु जी कमला/रामचन्द्र जी

लादु/मोडुलाल रचना/लादुलाल दीपक/रामचन्द्र जी

कोमल/दीपक [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Scanned with OKEN Scanner